

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय को
सम्बोधित करें, अन्य किसी
अधिकारी के नाम से नहीं

Mass Com.

पत्र संख्या : 3457-18059-99
दिनांक : 29/09/25

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ-226007

सेवा में,

समस्त संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, निदेशक, प्रभारी, समन्वयक
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ।

विषय : "चिवनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" को छात्रों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार करने के सम्बन्ध में।

महोदय/ महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक: 2152/सत्तर-3-2025-08(35) /2024- 1833464, दिनांकित: 18 अगस्त, 2025 के सन्दर्भ में शिक्षा निदेशक (उ०शि०), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा प्रेषित पत्रांक: डिग्री विकास/1622/2025-26, दिनांकित 11.09.2025 के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार तथा The Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) UK के सहयोग से "चिवनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" का संचालन किये जाने से संज्ञानित कराते हुए व्यापक प्रचार एवं प्रसार की अपेक्षा की गयी है।

उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 05 प्रतिभावान छात्रों को UK में मास्टर डिग्री लेने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिससे प्रदेश के प्रतिभावन छात्रों को UK में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी एक विषय में एक वर्ष के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

"चिवनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" का संक्षिप्त विवरण -

- "चिवनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" शैक्षणिक सत्र 2026-27, 2027-28 तथा 2028-29 के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। भविष्य में छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु शासन द्वारा पृथक से कार्यवाही की जायेगी।
- प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए "चिवनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" हेतु अधिकतम 05 छात्रों का चयन किया जायेगा तथा UK के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में एक वर्ष की मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन Chevening Online Application के माध्यम से किया जायेगा।
- उक्त योजना के अन्तर्गत छात्र/ छात्राओं को निम्नलिखित भुगतान किये जायेंगे -
 - (i) शैक्षणिक शिक्षण शुल्क के साथ परीक्षा एवं Thesis शुल्क।
 - (ii) एकल छात्र के लिए रहने का खर्च हेतु प्रर्याप्त मासिक भत्ता।
 - (iii) एक भत्ता पैकेज
 - (iv) निवास स्थान से स्वीकृत मार्ग के लिए एक वापसी विमान किराया (इकोनॉमी क्लास) ताकि आने-जाने की यात्रा को Cover किया जा सके।

अनुरोध है कि कृपया उक्त छात्रवृत्ति योजना को छात्रों के मध्य विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीया
Bansla
(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव

पत्रांक : दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

1. डॉ० शशि कपूर, संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०), उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन

उपकुलसचिव

3- " चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से आरम्भ होगी, जो 03 वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी रहेगी। शैक्षणिक वर्ष 2026-27, 2027-28 तथा 2028-29 के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। भविष्य में छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु शासन द्वारा पृथक से कार्यवाही की जायेगी। -

4- प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" हेतु अधिकतम 05 छात्रों का चयन किया जायेगा तथा UK के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में एक वर्ष की मास्टर डिग्री के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

5- आवेदन के समय www.chevening.org पर प्रभावी Chevening Guidance के अनुसार छात्रों को सूचीबद्ध किया जायेगा।

6- " चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" के संचालन की जिम्मेवारी Chevening प्रोग्राम के प्रशासक की होगी।

7- "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत आवेदन एवं चयन प्रक्रिया:-

- (i) छात्रवृत्ति के लिए आवेदन Chevening Online Application system के माध्यम से किया जा जायेगा।
- (ii) आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के बाद Chevening द्वारा पात्र आवेदकों की एक सूची तैयार करेगा, जो पात्रता मानदण्डों के अनुसार होगा।
- (iii) Chevening द्वारा चयनित योग्य आवेदनों में से 05 प्रतिभागियों का चयन करने हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें एक क्षेत्रीय विशेषज्ञ और एक अकादमिक विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे, को भेजा जायेगा।
- (iv) समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए अनुशंसित आवेदकों की एक लंबी सूची तैयार की जायेगी।
- (v) अनुशंसित आवेदकों की विस्तृत सूची के आवेदनों की समीक्षा FCDO द्वारा की जायेगी।
- (vi) FCDO पोस्ट उन आवेदकों की संक्षिप्त सूची तैयार करते हुए साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

संख्या-2152 / सत्तर-3-2025-08(35)/2024-1833464

प्रेषक,

एमपीओ अग्रवाल
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

- 1- कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 5- सुश्री सुप्रिया चावला, हेड चिवनिंग स्कालरशिप, ब्रिटिश हाई कमीशन, नई दिल्ली।
- 6- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 18 अगस्त, 2025,

विषय:- "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार तथा The Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) UK के सहयोग से "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" का संचालन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 05 प्रतिभावान छात्रों को UK में मास्टर डिग्री लेने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिससे प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों को UK में मास्टर डिग्री प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। प्रतिभागियों को UK में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में एक वर्ष के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

2- The Foreign Commonwealth and Development office (FCDO) UK सरकार का एक मंत्रीस्तरीय विभाग है। यह विश्व में UK के राजनयिक, विकास और काउंसिलर कार्यों का नेतृत्व करता है। भारत से ब्रिटिश उद्योगों UK और भारत के बीच संबंधों को बनाए रखता है। चिवनिंग ब्रिटिश काउंसिल की एक प्रशासनिक इकाई है।

(vii) FCDO पोस्ट Online Application system के माध्यम से शासन के साथ साक्षात्कार के लिए आवेदकों के विवरण साझा करेंगे।

(viii) Chevening चयनित आवेदकों को साक्षात्कार के लिए सूचित करेगा।

(ix) MoU में दोनों पक्षों के प्रतिनिधि निर्धारित तिथि या तय की जाने वाली तिथि पर साक्षात्कार पैनल में सम्मिलित होंगे। प्रदेश सरकार एक बाहरी साक्षात्कार पैनलिस्ट को नामित कर सकती है। यदि बाहरी साक्षात्कार पैनलिस्ट किन्हीं कारणों से साक्षात्कार पैनल में नहीं सम्मिलित हो पाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य हेतु FCDO Post को अधिकृत कर सकती है।

8- "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को निम्नलिखित भुगतान किये जायेंगे :-

- (i) शैक्षणिक शिक्षण शुल्क के साथ परीक्षा एवं Thesis शुल्क।
- (ii) एन्ट्रि छात्र के लिए रहने का खर्च हेतु पर्याप्त मासिक भत्ता
- (iii) एक भत्ता बैंकज
- (iv) निवास स्थान से स्वीकृत मार्ग के लिए एक वापसी विमान किराया (इकनोमी क्लास) ताकि जाने-जाने की यात्रा को Cover किया जा सके।

9- "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत प्रति छात्र लगभग £38,048- £42,076 (38,048-42,076 पाउंड) का व्यय आयेगा, जिसमें से राज्य सरकार को प्रति छात्र लगभग £19,800 (19,800 पाउंड) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। शेष धनराशि का निर्वहन The Foreign Commonwealth and Development office (FCDO) UK द्वारा किया जायेगा।

10- इस सम्झौता में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों के मध्य "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिकतम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Digitally signed by
(एम०पी०) अशोक कुमार आग्रवाल
Date: 18-08-2025
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, मा० मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, आयुष विभाग, खेलकूद विभाग, गृह विभाग, न्याय विभाग, संस्कृति विभाग, पशुधन विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
4. कुल सांचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
5. गार्डफाइल।

Digitally signed by
GIRIJESH KUMAR TYAGI
Date: 18-08-2025
16:44:36

(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव।

1
1
3
उच्च शिक्षा विभाग